न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः— मेघना चौधरी, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः—196 / 2020 / 225 (2020 / 00196)

1. गोरखनाथ पुत्र हजारीनाथ,
2. मछुन्दरनाथ पुत्र हजारीनाथ,
दोनों जाति नाथ, निवासी ग्राम तालाब की पाल के पास, काबरा, तहसील ब्यावर, जिला अजमेर ।

अपीलांटस

बनाम

1. श्रीमती राजकुमारी धर्मपत्नी जयसिंह, जाति रावत, बहैसियत स्वंय व बहैसियत वारिसान काबिज जायदाद स्व0 जयसिंह पुत्र हीरासिंह, जाति रावत, निवासी ग्राम काबरा, तह0 ब्यावर, जिला अजमेर जरिये मुख्त्यार अक्षय पुत्र जयसिंह, जाति रावत, निवासी ग्राम काबरा, हाल निवासी ग्राम लोहागल, अजमेर तहसील व जिला अजमेर ।
2. श्रीमती कमला पत्नि हरिसिंह, जाति रावत, निवासी ग्राम काबरा, तहसील ब्यावर जिला अजमेर ।
3. हजारीराम पुत्र बज्जा,
4. गुलाबराम पुत्र बज्जा,
5. मोहनराम पुत्र बज्जा,
6. घीसाराम पुत्र बज्जा,
समस्त जाति मेघवंशी, निवासी ग्राम कतीरियां का बाडिया (भांभीयों का बाडिया) काबरा, तहसील ब्यावर जिला अजमेर ।
7. लालाराम पुत्र राजाजी,
8. बीरमराम पुत्र राजाजी,
9. नरेन्द्र कुमार पुत्र राजाजी,
10. विनोद कुमार पुत्र राजाजी,
11. धन्नी बेवा राजाजी,
12. प्रतापराम पुत्र छगा,
13. मांगुराम पुत्र छगा,
14. सोहनराम पुत्र छगा,
15. राजेश कुमार पुत्र छगा,
16. सुरेश कुमार पुत्र छगा,
17. रूपी बेवा छगा,
समस्त जाति मेघवंशी, निवासी ग्राम कतीरियां का बाड़िया (भांभीयों का बाड़िया) काबरा, तह0 ब्यावर, जिला अजमेर ।
18. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, ब्यावर, जिला अजमेर ।

रेस्पोडेंटस

19. राजनाथ पुत्र हजारीनाथ,
20. मोहननाथ पुत्र गुलाबनाथ,
दोनों जाति नाथ, निवासी ग्राम तालाब की पाल के पास, काबरा, तहसील ब्यावर जिला अजमेर ।

प्रफोर्मा रेस्पोडेंटस

अपील अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध आदेश विद्वान उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, ब्यावर दिनांक 9.10.2020 अंतर्गत प्रकरण संख्या 44 / 2019.

उपस्थितः–

1. श्री शोकिन्दलाल गुर्जर, वकील अपीलांटस ।
2. श्री ज्ञानचंद गदिया, वकील रेस्पो0 संख्या 1 व 2.
3. श्री गोतम टांक, वकील रेस्पो0 संख्या 4 से 17.
4. श्री रामसुख चौधरी, वकील रेस्पो0 संख्या 19 व 20.
5. श्री विकास पाराशर, राजकीय अधिवक्ता, रेस्पो0 संख्या 18.
6. रेस्पो0 संख्या 3 अनुपस्थित ।

निर्णय

दिनांकः– 30.7.2021

1. यह अपील विद्वान उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, ब्यावर के आदेश दिनांक 9.10.2020 के विरूद्ध इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है ।

2. प्रार्थीगण/रेस्पो0 संख्या 1 व 2 ने अप्रार्थीगण/अपीलांटस एवं शेष रेस्पो0 संख्या 4 लगायत 20 के विरूद्ध पेश के विरूद्ध अधी0न्याया0 के समक्ष प्रार्थना पत्र धारा 251–ए राज0काश्त0अधि0 के तहत पेश कर निवेदन किया कि कृषि भूमियां वाके ग्राम काबरा तहसील ब्यावर जिला अजमेर स्थित खसरा संख्या 1138 रकबा 2–10–00 किस्म चाही–1 व खसरा संख्या 1110 रकबा 00–10–00 किस्म ता0 1 अवस्थित है जिसमें से खसरा संख्या 1138 के खातेदार काश्तकार वादिया संख्या 1 के पति जयसिंह वल्द हीरासिंह, जाति रावत निवासी काबरा तहसील ब्यावर का नाम बमुजब राजस्व अभिलेखों के अनुसार काश्तकार चले आ रहे है व उक्त भूमियों के रिकार्डेड खातेदार काश्तकार व काबिज काश्त है । जयसिंह ने अपने जीवनकाल में अपनी पत्नि प्रार्थी संख्या 1 राजकुमारी के नाम एक वसीयतनामा निष्पादित करा नोटरी पब्लिक से प्रमाणित करवा रखा है व जयसिंह का स्वर्गवास हो गया है व उनकी मृत्यु के उपरांत उक्त वसीयतनामा प्रभावीशल हो जाने से भूमि खसरा संख्या 1138 सहित अन्य सम्पतियां प्रार्थी संख्या 1 के ही कब्जे मालिकाना में चली आ रही है व प्रार्थिया ही उनकी उत्तराधिकारी होने व खसरा संख्या 1110 रकबा 00–10–00 किस्म ता01 की खातेदार व काबिज काश्त प्रार्थी संख्या 2 चली आ रही है । भूमि खसरा संख्या 1138 के पूर्व में तथा खसरा संख्या 1110 के दक्षिण में अप्रार्थी संख्या 1 से 15 की खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजी खसरा संख्या 1122 रकबा 2–11–10 किस्म ता01 स्थित है व उसके आगे पूर्व की तरफ 1124 सार्वजनिक तरमीमशुदा रास्ता चला आ रहा है जो मुख्य सड़क काबरा ब्यावर रोड़ में मिलता है जिसे परिशिष्ट क में लाल स्याही से दर्शाया गया है । प्रार्थीगण की खातेदारी व कब्जे काश्त की भूमियों में आने जाने के लिए कोई रास्ता नहीं है एवं वे शुरू से ही अप्रार्थी संख्या 1 से 15 की आराजी से आ जा रहे है । प्रार्थीगण ने अप्रार्थी संख्या 1 से 19 से अपने खेतों में जाने के लिए दिनांक 24.7.2019 को 30 फीट चौड़ा रास्ता दिये जाने के लिए मौखिक निवेदन किया व यह भी निवेदन किया कि सार्वजनिक रास्ते की भूमि खसरा संख्या 1124 की भूमि व खसरा संख्या 1122 की भूमि पर अवैध निर्माण न करे व उनके द्वारा वर्षो से आवागमन हो रहा है उसे अवरूद्ध नही करे किन्तु अप्रार्थी संख्या 1 से 19 ने रास्ता देने से इंकार कर दिया इस कारण यह प्रार्थना पत्र पेश करना आवश्यक हुआ है । अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थीगण की खातेदारी में आने जाने के लिए अप्रार्थी की खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजी खसरा संख्या 1122 स्थित है, में से व उसके आगे पूर्व की तरफ सार्वजनिक

राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

तरमीमशुदा रास्ता खसरा संख्या 1124 तक 30 फीट चौड़ा रास्ता दिलाये जाने के आदेश प्रदान करावे । अधी0न्याया0 ने अपने निर्णय दिनांक 9.10.2020 द्वारा आंशिक रूप से स्वीकार कर प्रार्थीगण की आराजी खसरा संख्या 1138 व 1110 में आने जाने के लिए ग्रामीण मार्ग से खसरा संख्या 1138 तक पहुचंने हेतु खसरा नंबर 1122 व 1137 में से पश्चिम दक्षिणी दिशा के लगते हुए 8 फीट चौड़ा रास्ते के आदेश पारित किये । अधी0न्याया0 के इस आदेश से असंतुष्ट होकर अपीलांटस ने यह अपील इस न्यायालय में पेश की है ।

3. अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड प्राप्त होने पर प्रकरण में उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई ।

4. विद्वान वकील अपीलांटस ने बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय का आदेश न्याय, नियम एवं विधि के प्रतिकूल होने से निरस्तनीय है । अधी0न्याया0 ने निर्णय पारित करने से पूर्व इस बिन्दू को नजरअंदाज किया कि रेस्पो0 राजकुमारी व कमला द्वारा अपने प्रार्थना पत्र धारा 251–ए राज0काश्त0अधि0 दिनांक 29.7.2019 को न्यायालय में पेश किया हे उसकी चरण संख्या 5 व 7 में वादग्रस्त भूमि खसरा नंबर 1122 में शुरू से आने जाने का रास्ता होना प्लीड किया है और अप्रार्थी/रेस्पो0 संख्या 3 लगायत 17 ने भी अपने जवाब प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 8 में वर्षो से आवागमन हेतु वादग्रस्त खसरे में रास्ता होना बताया है ऐसी सूरत में रास्ता का सुखाधिकार का मामला बनता है, इसलिये राजकुमारी व कमला को धारा 251–ए के तहत अथवा इजमेन्ट एक्ट के प्रावधानों के तहत अनुतोष लेना चाहिये इसलिये धारा 251–ए राज0काश्त0अधि0 लागू नहीं होती है और धारा 251–ए में रास्ता देने का कोई क्षेत्राधिकार नहीं है । इस प्रभाव को सुनने का क्षेत्राधिकार अधी0न्याया0 को न होकर सिविल न्यायालय को है । विवादित आराजी अपीलांट की क्रयशुदा आराजी है जिससे वर्तमान रेस्पो0 संख्या 3 लगायत 17 का कोई वास्ता नहीं है । बहस में आगे कथन किया कि रेस्पो0 संख्या 1 व 2 के कब्जे काश्त व खातेदारी की भूमि खसरा नंबर 1138 के पूर्व दिशा में खसरा संख्या 1137 धोरा/मोरी रास्तानुमा है तथा खसरा संख्या 1110 के दक्षिण में आराजी खसरा संख्या 1122 स्थित नहीं होकर खसरा संख्या 1108 आया हुआ है और खसरा नंबर 1108 के उपर पश्चिम में खसरा संख्या 1107 आया हुआ है जो दांती जमीन है, जो पुराना रास्ता है, प्रार्थीगण के पूर्व मालिक इसी रास्ते से खसरा नंबर 1138 में आते जाते रहे है तथा खसरा नंबर 1122 रेस्पो0 संख्या 3 लगायत 17 के पूर्वज बज्जा, राजू, छगू पि0 गोमा के द्वारा जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 5.6.1957 के द्वारा साबिक खसरा संख्या 983 का 1/3 हिस्सा अपीलांट एवं तरतीबी रेस्पो0 राजनाथ, मछुन्दरनाथ, गोरखनाथ, मोहननाथ के पूर्वजों ने खरीद कर लिया जिसके हाल खसरा नंबर 1122 है तथ अन्य हिस्सेदार श्रीमती नौजी बेवा चतरा से साबिक खसरा संख्या 983/2 रकबा 15 बिस्वा भूमि जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 28.4.1962 के द्वारा क्रय कर ली तथा सदा व माल पिसरान भवाना से जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 10.1.1962 के द्वारा साबिक खसरा नंबर 983/3 रकबा 16 बिस्वा 10 बिस्वांसी भूमि एवं रामा पुत्र नाथा के जरिये रजिस्टर्ड बेचाननामा दिनांक 26.6.1963 द्वारा उक्त साबिक खसरा नंबर 983 का तीसरा हिस्सा खरीद कर लिया तब से अपीलांट एवं तरतीबी रेस्पो0 राजनाथ, मछुन्दरनाथ, गोरखनाथ, मोहननाथ अपने पूर्वजों के समय से काबिज चले आ रहे है । उक्त बेचाननामों के विषय में तथाकथित रेस्पो0 संख्या 3 से 17 ने कभी कोई आपत्ति नहीं की है, जबकि उक्त साबिक खसरा नंबर 983 रकबा 2 बीघा 6 बिस्वा 10 बिस्वांसी का हाल खसरा नंबर 1122 है तथा खसरा संख्या 1122 में पूर्व

राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

दिशा में रास्ता है जिससे आता जाता रहा है, पृथक खातेदार की आराजी से रास्ता देने का कोई प्रावधान नहीं है । रेस्पो0 संख्या 1 व 2 ने बदनियतिपूर्वक न्यायालय को गुमराह करने की नियत से गलत तथ्यों पर प्रार्थना पत्र अपीलांट की भूमि हड़पने के उद्देश्य से पेश किया है । अपीलांट के कब्जे काश्त व क्रयशुदा भूमि में कोई न तो पूर्व में था ना ही आज है । अधी0न्याया0 ने अपीलाधीन आदेश नियम 69 की पालना किये बिना पारित किया है । प्रार्थीगण/रेस्पो0 संख्या 1 व 2 की खातेदारी खेत खसरा संख्या 1138 में जाने की तीन रास्ते उपलब्ध है जिसमें प्रथम रास्ता खसरा नंबर 1107 दांती में से होकर उनके कुएं की भूमि खसरा नंबर 1117 में से होकर खसरा नंबर 1137 के धोरे से होते हुए अपने खेत खसरा नंबर 1138 में आते जाते है । दूसरा रास्ता सरकारी गांव की पक्की मोरी से उत्तर में खसरा नंबर 1117 चाह तक धोरा बना हुआ है, उसके साथ ही रास्ता है उसमें से होकर प्रार्थीगण अपने कुएं में आते आते है उसके बाद अपने खेत खसरा नंबर 1116 से होते हुए खसरा नंबर 1138 में आते जाते है । तीसरा रास्ता खसरा नंबर 1123 में से होकर पानी के धोरे के साथ में रास्ता जिसमें ट्रेक्टर आदि निकल सकते है। खसरा नंबर 1122 में से कभी कोई रास्ता नहीं रहा है इसलिये रास्ता बंद किये जाने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता है । बहस में आगे कथन किया कि रेस्पो0 संख्या 3 लगायत 17 अनुसूचित जाति के व्यक्ति है इस कारण उनकी खातेदारी आराजी रास्ते के लिये सरकार किसी भी ना तो दिला सकती है ना ही इसका मुआवजा दिला सकती है । अधी0न्याया0 द्वारा पारित आदेश हस्तातंरण की परिभाषा में आता है । इस कारण पारित आदेश निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधी0न्याया0 का आदेश निरस्त किया जावे । विद्वान वकील अपीलांटस ने अपने कथनों के समर्थन में आर0आर0डी0 2019 पेज 738, आर0आर0टी0 2016 पार्ट–2 पेज 1281, आर0बी0जे0 2019 पेज 443, आर0आर0टी0 2016 पार्ट–1 पेज 649, 440 के न्यायिक दृष्टांत उद्धरित किये ।

5. विद्वान वकील रेस्पो0 संख्या 1 व 2 ने बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय का आदेश विधिसम्मत् है । खसरा संख्या 1138 की खातेदार रेस्पो0 संख्या 1 है तथा खसरा संख्या खसरा संख्या 1110 की खातेदार रेस्पो0 संख्या 2 है । खसरा संख्या 1138 के पूर्व में तथा खसरा संख्या 1110 के दक्षिण में अप्रार्थीगण/अपीलांट एवं शेष रेस्पो0 की आराजी खसरा नंबर 1122 स्थित व उसके आगे पूर्व की तरफ 1124 सार्वजनिक तरमीमशुदा रास्ता चला आ रहा है जो मुख्य सड़क काबरा ब्यावर रोड़ में मिलता है । प्रार्थीगण/रेस्पो0 संख्या 1 व 2 की आराजी में आने जाने के लिये कोई रास्ता नही है एवं वे प्रारंभ से ही अप्रार्थी संख्या 1 से 15 की आराजी में से आते–जाते रहे है । अधी0न्याया0 ने निर्णय पारित करने से पूर्व तहसीलदार, ब्यावर से मौका रिपोर्ट प्राप्त की है जिसमें तहसीलदार ने खसरा संख्या 1122 का रास्ते के रूप में उपयोग करना अंकित किया है । इसके अतिरिक्त अप्रार्थीगण संख्या 1 से 15 ने भी अपने जवाब प्रार्थना पत्र एवं बहस में खसरा नंबर 1122 व 1137 में से आने जाने हेतु रास्ते का उपयोग करने की पुष्टि की है। यह भी कथन किया कि अनुसूचित जाति के व्यक्तियों की भूमि किसी अन्य जाति के व्यक्तियों के नाम दर्ज किये जाने हेतु हस्तगत प्रकरण पेश नहीं किया गया है बल्कि सिवायचक आम रास्ते की घोषणा के संबंध में प्रस्तुत किया गया है जो कि अंतरण की परिभाषा में नहीं आता है । तहसीलदार ने अपनी रिपोर्ट में प्रार्थीगण की आराजी में आवागमन हेतु अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं होना भी अंकित किया है जिससे स्पष्ट होता है कि प्रार्थीगण को रास्ते की आत्यंतिक आवश्यकता है । विद्वान अधी0न्याया0

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

ने पत्रावली पर उपलब्ध संपूर्ण दस्तावेजी साक्ष्यों का विस्तृत विवेचन, विश्लेषण उपरांत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर रास्ते के आदेश पारित किये है जो विधिसम्मत् आदेश है । अतः अपील अपीलांटस निरस्त की जावे ।

6. विद्वान वकील रेस्पो0 संख्या 4 लगायत 17 ने बहस में अपीलांटस की बहस का समर्थन करते हुए कथन किया कि भूमि खसरा नंबर 1138 के पूर्व में तथा खसरा संख्या 1110 के दक्षिण में उत्तरदाता अप्रार्थीगण की खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजी खसरा संख्या 1122 स्थित है व उसके आगे पूर्व की ओर खसरा नंबर 1124 पर सार्वजनिक तरमीमशुदा रास्ता चला आ रहा है । अप्रार्थीगण की खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजी खसरा संख्या 1122 से अप्रार्थी संख्या 16 से 19 का कोई संबंध सरोकार व कब्जा किसी भी प्रकार का नहीं है किन्तु अप्रार्थीगण संख्या 16 से 19 अप्रार्थीगण की खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजी व सार्वजनिक रास्ते पर जबरन कब्जा करने का प्रयास करते रहते है जबकि अप्रार्थी संख्या 16 व 19 का उपरोक्त चाहे गये उपरोक्त रास्ता की भूमि पर कब्जा काश्त नहीं रहा है । प्रार्थीगण की आराजी में आने जाने के लिये उपरोक्त रास्ते के अलावा अन्य कोई रास्ता नहीं है व यदि प्रार्थीगण को अप्रार्थीगण संख्या 4 से 17 की खातेदारी आराजी में से आवागमन हेतु रास्ता दिया जाता है तो रेस्पो0 संख्या 4 से 17 को मुआवज़ा दिलाया जाना कानूनन आवश्यक एवं उचित है । रेस्पो0 संख्या 4 से 17 की आराजी में से रेस्पो0 संख्या 1 व 2 को रास्ता दिये जाने से कोई आपत्ति नहीं है ।

7. हमनें उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया । प्रार्थीगण/रेस्पो0 संख्या 1 व 2 द्वारा स्वंय की खातेदारी आराजी भूमि खसरा संख्या 1138 में आने जाने हेतु कोई वैकल्पिक मार्ग नहीं होने तथा खसरा संख्या 1122 का उपयोग करने का कथन कर रास्ते की प्रार्थना किये जाने पर अधी0न्याया0 ने प्रकरण दर्ज कर अप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलब किया । अप्रार्थीगण 1 से 15 ने अधी0न्याया0 के समक्ष उपस्थित होकर जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया है जिसकी चरण संख्या 3 में अंकित किया है कि भूमि खसरा संख्या 1138 के पूर्व में तथा खसरा संख्या 1110 के दक्षिण में उत्तरदाता अप्रार्थीगण की खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजी खसरा संख्या 1122 क्षेत्रफल 2.1110 किस्म ता0+1 स्थित है व उसके आगे पूर्व की ओर खसरा संख्या 1124 पर सार्वजनिक तरमीमशुदा रास्ता चला आ रहा है । चरण संख्या 5 में अंकित किया है कि " उत्तरदाता अप्रार्थीगण की खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजी खसरा संख्या 1122 से अप्रार्थी संख्या 16 से 19 का कोई संबंध, सरोकार व कब्जा किसी भी प्रकार का नहीं है किन्तु अप्रार्थी संख्या 16 से 19 उत्तरदाता अप्रार्थीगण की खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजी व सार्वजनिक रास्ते पर जबरन गलत व गैरकानूनी रूप से कब्जा करने का असफल प्रयास करते रहते है । अप्रार्थी संख्या 16 से 19 का उपरोक्त चाहे गये मार्ग की भूमि पर कब्जा काश्त नहीं रहा है । प्रार्थीगण की आराजी में आने जाने का उपरोक्त रास्ते के अलावा अन्य कोई रास्ता नहीं है, यदि प्रार्थीगण को उत्तरदाता अप्रार्थीगण की खातेदारी की आराजी में से आवागमन हेतु रास्ता दिया जाता है तो उत्तरदाता अप्रार्थीगण को उचित मुआवजा दिलाया जाना कानूनन आवश्यक व उचित है । " इस प्रकार अप्रार्थीगण संख्या 1 से 15 द्वारा अधी0न्याया0 के समक्ष अपने जवाब प्रार्थना पत्र के माध्यम से उनकी खातेदारी आराजियात में से रास्ता दिये जाने बाबत् कोई आपत्ति नहीं होना अंकित किया है । इसके अतिरिक्त तहसीलदार, ब्यावर ने भी अपनी रिपोर्ट में खसरा संख्या 1122 व 1137 के अतिरिक्त अन्य कोई वैकल्पिक मार्ग नहीं होना बताया है । इस प्रकार

अप्रार्थीगण / खातेदार की स्वंय की स्वीकारोक्ति रही है कि प्रार्थीगण को उसकी खातेदारी आराजी संख्या 1138 में यदि उनकी खातेदारी आराजियात से रास्ता दिया जाता है तो कोई आपत्ति नही है । अधी0न्याया0 ने इन सभी तथ्यों के आधार पर प्रार्थीगण / रेस्पो0 संख्या 1 व 2 का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अपीलाधीन आदेश पारित किया है जिसमें हमें कोई विधिक एवं तथ्यात्मक त्रुटि प्रतीत नही होती है । उपरोक्त विवेचनानुसार अपील अपीलांटस निरस्त योग्य तथा अधी0न्याया0 द्वारा पारित निर्णय यथावत् रखे जाने योग्य पाया जाता है ।

8. अतः अपील अपीलांटस खारिज की जाती है । विद्वान उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर, ब्यावर द्वारा पारित आदेश दिनांक 9.10.2020 यथावत् रखा जाता है ।

(मेघना चौधरी)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

9. निर्णय आज दिनांक 30.7.2021 मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(मेघना चौधरी)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

[redacted]